रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032020-218583 CG-DL-E-09032020-218583

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941

No. 908]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

का.आ.1012(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4529(अ), तारीख 18.12.2019 द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 95 के खरड़-समराला चौक-एमसी लिमिट सेक्शन का 0+000 किमी. से 92+000 किमी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 (पुराना रारा-95) के 10.185 डिज़ाइन कि.मी. से 86.199 कि.मी (विद्यमान 0.000 कि.मी से 76.000 कि.मी.) तक खरड़-लुधियाना सेक्शन के चार/छह लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 65.357 कि.मी. और 33.07 कि.मी (जिनकी लबाई 3.307 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए

1314 GI/2020 (1)

यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और दस करोड़ या उससे अधिक लागत के बाइपास जिनकी लंबाई 7.35 किमी. है उनके लिए नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी 1					
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.				
	शुल्क की आधार दर (रूपए में)				
(1)	(2)				
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65				
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05				
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20				
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40				
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधु	3.45				
वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)					
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20				

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी-2						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है					
पंजाब जिले के एसएएस नगर में भागो माजरा गांव के निकट डिज़ाइन चेनेज 05 (पुराना रारा-95) के 12.070 किमी पर	28.468 [10 करोड से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%					
पंजाब जिले के लुधियाना में घुलाल गांव के निकट डिज़ाइन चेनेज 05 (पुराना रारा-95) के 60.000 किमी पर	36.889 [10 करोड से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%					

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

					₹	गरणी −3				
शुल्क अवस्था	प्लाजा त (चैनेज)	का	बाइपास नाम	का	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	की लम्बाई जिसके लिए गुल्क संदेय है लागत (करोड़ रूपए में)	दर शुल्क	जिस इसंदेय है	पर

पंजाब जिले के एसएएस नगर में भागो माजरा गांव के निकट डिज़ाइन चेनेज 05 (पुराना रारा- 95) के 12.070 किमी पर	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
पंजाब जिले के लुधियाना में घुलाल गांव के निकट डिज़ाइन चेनेज 05 (पुराना रारा-95) के 60.000 किमी. पर	रारा – 7 का समरला बाइपास	50.650 डिज़ाइन किमी.	58.000 डिज़ाइन किमी.	7.350	116.380	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3 . उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी - 4		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई* (कि.मी. में) में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पंजाब जिले के एसएएस नगर में भागो माजरा गांव के निकट डिज़ाइन चेनेज 05 (पुराना रारा-95) के 12.070 किमी. पर	3.047 ^	30.47	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
पंजाब जिले के लुधियाना में घुलाल गांव के निकट डिज़ाइन चेनेज 05 (पुराना रारा-95) के 60.000 किमी. पर	0.26^^	2.60	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं.		चैनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई
	किमी. से	किमी. तक		(किमी. में)
1.	21.646	22.074	आरओबी	0.428
2.	24.031	24.290	आरओबी	0.259
3.	29.140	29.300	बड़ा पुल	0.160
4.	38.435	40.635	फ्लाईओवर	2.200
	वृ	ुल		3.047

^{^^} ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं.		चैनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई
	किमी. से	किमी. तक		(किमी. में)
1.	62.800	63.060	बड़ा पुल	0.260
कुल				<mark>0.260</mark>

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

	सारणी-5	
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रित किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तिवक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2523.43 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[सं. भाराराप्रा/13013/774/सीओ/19-20/जीसी मोहाली (10.185-86.199) पीएफ़] सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2020

S.O.1012(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number 4529 (E) dated 18.12.2019 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kharar-Samrala Chowk – MC Limit Section from Km 0+000 to Km 92+000 of National Highway No. 95 in the State of Punjab to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 65.357 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 33.07 km (having length of 3.307 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 7.35 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four/six lanes of Kharar -Ludhiana Section from design kilometer 10.185 to kilometer 86.199 (existing km 0.000 to km 76.000) of National Highway No. 05 (Old NH-95) in the state of Punjab and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1					
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)				
(1)	(2)				
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65				
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05				
Bus or Truck (Two Axles)	2.20				
Three-axle commercial vehicles	2.40				
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment	3.45				
(EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)					
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20				

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza, for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

	Table-2	
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 12.070 design chainage of 05 (Old NH-95) near village Bhago Majra in SAS Nagar district of Punjab	28.468 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 60.000 design chainage of 05 (Old NH-95) near village Ghulal in Ludhiana district of Punjab	36.889 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypasses length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and C for which add pays	litional fee is	Rate at which fee is payable
	Буразз			Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	

At km 12.070 design chainage of 05 (Old NH-95) near village Bhago Majra in SAS Nagar district of Punjab	NIL	NA	NA	NA	NA	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 60.000 design chainage of 05 (Old NH- 95) near village Ghulal in Ludhiana district of Punjab	Samrala Bypass of NH-7	Design Km 50.650	Design Km 58.000	7.350	116.380	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

	Table-4		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
	equivalent road length		1 7
At km 12.070 design chainage of 05 (Old NH-95) near village Bhago majra in SAS Nagar district of Punjab	3.047^	30.47	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 60.000 design chainage of 05 (Old NH-95) near village Ghulal in Ludhiana district of Punjab	0.26^^	2.60	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

S.	S. Chainage		Type of Structure	I anoth (in less)
No	From Km	To Km		Length (in km)
1	21.646	22.074	ROB	0.428
2	24.031	24.290	ROB	0.259
3	29.140	29.300	Major Bridge	0.160
4	38.435	40.635	Flyover	2.200
Total			3.047	

^^The details are as under: -

S.		Chainage	Type of Structure	Longth (in lem)
No	From Km	To Km		Length (in km)
1	62.800	63.060	Major Bridge	0.260
Total			0.260	

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5						
Amount Payable	Maximum number of	Period of validity				
	one way journeys					
	allowed					
One and one-half times of the fee for	Two	Twenty four hours from the time of				
one way journey		payment				
Two-third of amount of the fee	Fifty	One month from date of payment				
payable for fifty single journeys						

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2523.43 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[NHAI/13013/774/CO/19-20/GC Mohali (10.185-86.199) PF] SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy